




خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی-فارسی یونیورسٹی لکھنؤ  
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ  
Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, Lucknow

संख्या:- 109/उअफावि/का/2017  
दिनांक:: 12 सितम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री आयुष पाण्डेय पुत्र श्री राकेश कुमार पाण्डेय निवासी- 610/1173 केशवनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ को दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को डॉ० वसी अहमद आजम अंसारी, सहायक आचार्य, उर्दू के साथ किये दुर्व्यवहार का दोषी मानते हुए, मा० कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है।


2- उपरोक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(डॉ० नीरज शुक्ल)  
कुलानुशासक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. समस्त विषय प्रभारी।
4. प्रोक्टोरियल बोर्ड के समस्त सदस्य।
5. वेबमास्टर को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. सम्बन्धित छात्र एवं उनके अभिभावक।
7. सूचना पटल।
8. गार्ड फाइल।

  
(डॉ० नीरज शुक्ल)  
कुलानुशासक।